



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2016/पौष 28, 1937

No. 38]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/ PAUSA 28, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 79(अ).— केन्द्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 3 दिसंबर 2015, को का.आ. सं. 3270 (अ) के तहत प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-
अधिसूचना में क्रम. सं. (3 और 4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांकों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"3. डॉ. कमभमपति हरि बाबू,

- सदस्य

संसद सदस्य, लोकसभा

4. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव,

- सदस्य

संसद सदस्य, लोकसभा

[फा. सं. 1/9/2009 – ईपी (एमपी) –खण्ड - II]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 3 दिसंबर 2015 की सा. का. नि सं. 3270 (अ) के तहत 4 दिसंबर, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2016

G.S.R. 79(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, published vide S.O. No. 3270 (E), dated 3rd December, 2015 namely:-

In the said notification, for serial number (3 and 4) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- | | |
|--|-----------|
| “3. Dr. Kambhampati Hari Babu,
Member of Parliament, Lok Sabha | - Member |
| 4. Shri Kalikesh Narayan Singh Deo,
Member of Parliament, Lok Sabha | - Member” |

[F. No. 1/9/2009 – EP (MP) – Vol.II]
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated the 4th December, 2015 vide G.S.R. 3270(E) dated 3rd December, 2015.